

मॉड्यूल 8: वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण

सत्र 3 वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों की भूमिका

अवधि: 14:18 मिनट

अब हम जानते हैं कि बच्चों को मनो-सामाजिक सहायता कैसे प्रदान की जाए। हम जानते हैं कि देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कोविड-19 जैसी बीमारी के दौरान विशेष तरह की सहायता की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ऐसे बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों को प्रसारित किया है। आईए अब इसे समझें।

कोविड-19 के दौरान बच्चों (देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले) की, खुशहाली सुनिश्चित करने के उपाय

- यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, तनाव महसूस करना, बेचैनी, दुखी होना तथा चिंतित होना स्वाभाविक है।
- बच्चों को आश्वस्त करें कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें यह जानने दीजिए कि अगर इससे परेशान हैं तो यह कोई चिंता की बात नहीं है।
- बच्चों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और जिनपर वे विश्वास करते हैं उनसे अपनी चिंताएं और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कोविड-19 पर होने वाली बहसों/चर्चाओं को बहुत अधिक देखने, पढ़ने, सुनने से परहेज करें और बच्चों को अपना ध्यान अन्य विषयों पर भी लगाने के लिए समझाएं।
- दिनचर्या में बदलाव और स्कूलों का बन्द होना भी बच्चों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। घर में नियमित दिनचर्या जारी रखने का प्रयास करें जिसमें कम से कम बदलाव हों।
- बच्चों के साथ समय बिताएं और उन्हें खुलने का अवसर दें सम्भवतः ऐसी गतिविधियों के द्वारा जिससे उन्हें खुशी मिलती है।
- बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दण्ड या हिंसा का इस्तेमाल न करें।
- छात्रों को मार्गदर्शन दें कि अपने हम उम्र साथियों की कैसे मदद करें और उन्हें अलग-थलग करने या उनके साथ धमकाने या मारपीट जैसा व्यवहार न करें।
- बाल देखरेख संस्थानों में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने तथा मदद देने के लिए, जिनमें संकट के लक्षण दिख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी/सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता के साथ कार्य करें।
- बाल देखरेख संस्थानों में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पहले से ही हुए मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के लिए परामर्श या उपचार ले रहे हैं, उनके उपचार की निरन्तरता उपचार कर्ता/मनोचिकित्सक से सलाह लेकर जारी रखना सुनिश्चित करें।

- यह सुनिश्चित करें कोई भी कर्मी या बच्चा, किसी भी प्रकार के लांछन वाले शब्दों का या खांसने और छींकने के कारण उत्पन्न व्यवहार के कारण लांछना का शिकार न हो क्योंकि यह 'बराबरी और समभाव', 'गरिमा और महत्व' के सिद्धान्त की अवहेलना है।
- बच्चे को प्रोत्साहित करें और सहयोग दें ताकि वे अपने शरीर पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, ध्यान लगाएं, स्वास्थ्यप्रद संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से कसरत करें, पर्याप्त नींद लें आदि।
- सामाजिक सेवा तंत्र के साथ मिलकर कार्य करें ताकि बाल देखरेख संस्थानों में संकटकालीन आवश्यक सेवाएं, जिनकी कभी-भी ज़रूरत पड़ सकती है जारी रहें जैसे- स्वास्थ्य जांच, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचार पद्धतियां आदि।
- निःशक्त बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करें।¹

आप पहले से ही जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उत्पादक कार्यों में शामिल हैं। एक सकारात्मक वातावरण उनकी सृजनशीलता को बाहर लाएगा जैसे- किचेन गार्डन बनाना, रूमाल बनाना, पेन्टिंग करना, खाना बनाना सीखना आदि।

अब एक सर्वोत्तम उदाहरण को देखें जो मणिपुर के 13 वर्ष के एक बच्चे का है, जिसने कोविड-19 के दौरान एक अदभुत चीज तैयार की। आईए इस वीडियो को देखें।

कोविड-19 के दौरान मनो-सामाजिक सहायता के लिए भारत सरकार की पहल:

यह महसूस करते हुए कि कोविड-19 का प्रभाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सरकार ने अनेकों ऐसी पहल की है जिससे कोविड-19 के दौरान मनो-सामाजिक सहायता दी जा सके इन पहलों में शामिल है:

- i. 24X7 हेल्पलाइन स्थापित करना जो मनो-सामाजिक सहायता मानसिक विशेष ज्ञान द्वारा, प्रभावित जनसंख्या को, विभिन्न लक्ष्य समूहों में बांटकर, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उपलब्ध कराएगी।
- ii. समाज के विभिन्न भागों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रबन्धन पर सलाह/दिशानिर्देश जारी करना।
- iii. विभिन्न मीडिया के मंचों से, सृजनशीलता तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री के रूप में, तनाव तथा व्याकुलता के प्रबन्धन और सभी के लिए सहायक और देखरेख करने वाला वातावरण श्रुजित करने के लिए पैरोकारी की है।
- iv. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइन्स (NIMHANS), द्वारा 'कोविड-19 महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य' 'सामान्य चिकित्सा तथा विशेषीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था' पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है। सभी दिशानिर्देशों और सलाहों एवं पैरोकारी की सामग्रियों को स्वास्थ्य एवं

¹ SC Guideline

- v. परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाईअ "व्यवहारगत स्वास्थ्य – मनोसामाजिक हेल्पलाईन" (<https://www.mohfw.gov.in/>) पर देखा जा सकता है।
- vi. NIMHANS द्वारा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मनो-सामाजिक सहयोग देने के सम्बन्ध में ऑन लाईन क्षमता विकास किया गया और दिक्षा प्लेटफार्म (iGOT) के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।²

कोविड-19 के दौरान बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करना: राज्यों से उदाहरण पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में, यूनिसेफ, कोलकाता पुलिस को, निर्भया फण्ड का इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में सहयोग दे रही है।

ओडिशा

ओडिशा में, यूनिसेफ और राज्य की पुलिस ने, बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध एक राज्यव्यापी अभियान चलाया जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि रोकथाम और प्रतिउत्तर देने में पुलिस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।³

छत्तीसगढ़: चकमक अभियान

बच्चों की शिक्षा घर पर सुनिश्चित करने और समुदाय में सकारात्मकता तथा उम्मीद जगाने के लिए (बच्चों द्वारा की गयी पेंटिंग एवं रचनात्मक कार्य द्वारा), राज्य में यूनिसेफ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था चकमक (आग वाला पत्थर), इसकी शुरुआत अप्रैल-जून 2020 में की गयी। इससे माता-पिता तथा दादा-दादी की, बच्चों की घर पर शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हुई और बच्चों की, पेंटिंग, कहानी, बुनाई के कार्य तथा गानों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला।

चकमक अभियान छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक ऐसे मंच के रूप में उभर कर आया जहां वे रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं और घर पर ही मजले सकते हैं और अपने परिवार में खुशियां साझा कर सकते हैं। बच्चों ने अभियान के एक हिस्से के रूप में, हजारों पेंटिंग बनायीं और अनेकों रचनात्मक कार्यों की रचना की।

प्रत्येक सप्ताह, गतिविधियों तथा कार्यों की एक सूची चिन्हित की जाती है और बच्चों को अपनी पेंटिंगों या कार्यों को अभियान के फेसबुक पेज, जिसका नाम 'चकमक अभियान' है, पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

केरल

लॉकडाउन के समय के दौरान 'बच्चों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व' (ओ आर सी), एक बाल संरक्षण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत केरल की पुलिस ने किया है। इससे अनेकों पहल की शुरुआत हुई है जिससे बच्चों को

² <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654456>

³ <https://www.unicef.org/india/stories/re-imagining-role-police-covid-19-times>

अधिक उत्पादक तरीकों में शामिल किया जा सकता है और वंचित बच्चों के जीवन में सहायता दी जा सके।
आईए इस सम्बन्ध में दो मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानें।

1. कुट्टी डेस्क: बच्चों के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह कार्यक्रम, अपने हम उम्र साथियों को विभिन्न पक्षों जैसे— व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखें, कोविड-19 के खतरे में कैसे सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के दौरान कैसे प्रभावी तथा रचनात्मक तरीके से समय बिताएं आदि पर टेलिफोन द्वारा मार्गदर्शन देता है। यह पूरे केरल राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।
2. प्ले हब: प्ले हब एक इन्फोटेनमेन्ट (जानकारी द्वारा मनोरंजन) कार्यक्रम है जो बच्चों को, सामाजिक अकेलेपन से उत्पन्न बोरियत को दूर करना सिखाता है। इसमें बच्चों को रोज उत्साहवर्द्धक तथा उत्पादक गतिविधियां अपने माता-पिता के साथ मिलकर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी उत्पादक गतिविधियों में व्यस्तता का वीडियो बनाएंगे। कार्यक्रम का संचालन कठपुतली प्रदर्शन⁴ द्वारा किया जाता है।

आईए अब कुट्टी डेस्क का यह वीडियो देखें।

⁴ <https://orcindia.org/kuttydesk.html>